हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी

4/8/22 पत्रावली पेश। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवम् भू. अ. नि. की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

पत्रावली के अवलोकन पश्चात् निम्न तथ्य उभरकर सामने आते हैं।

1- प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 16 एवम् 15 में आवागमन हेतु इन खसरों की मेड़ पर समर्पणशुदा रास्ता खसरा नं. 15/1 एवम् 16/1 विद्यमान है।

2- खसरा नं. 15/1 का कुछ हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित किया गया है।

3- राजमार्ग में आ जाने से खसरा 15 में से आवागमन बन्द हो गया है अतः खसरा नं. 16 एवम् 15 में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है।

4- प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि में से रास्ते की मांग की गई।

उपरोक्त बिन्दुओं पर विवेचन पश्चात् न्यायालय निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है।

1- प्रार्थीगण को रास्ते की भूमि अवाप्त हो जाने से बारहमासी रास्ते की आवश्यकता है।

2- अवाप्तशुदा भूमि पर राजमार्ग निर्माण कार्य किया जायेगा। इस भूमि में से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	3. प्रार्थी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि अप्रार्थी द्वारा राजकोष में डी.एल.सी. दर से दोगुनी राशि जमा करवाकर नया रास्ता दिलवाया जावे। इस प्रकार का प्रावधान धारा 251A रा.का.अ. 1955 में नहीं विद्यमान है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये स्थान से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। धारा 251A के प्रावधानों के तहत अन्य स्थान से रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन संबंधित ~~पक्षकारों~~ खातेदारों को पक्षकार किया जा सकता है।
	भू. अ. नि. द्वारा

प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्शाये गये बिंदु
C से B तक नये रास्ते हेतु
मांग की जा सकती है परंतु
इस वक्त सभी खातेदारों को
पक्षकार बनाकर नया रास्ता
प्राप्त करने हेतु आवेदन करना
होगा।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत
धारा 25A, रा.का.का. 1925
अस्वीकार किया जाकर पत्रावली
इसी स्तर पर समाप्त की
जाती है।

9/1/22